दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ

पत्रांक 957/सं0-सात-24/वाहन नीलामी/2015-16 दिनांक 26 जुलाई, 2021

नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में संस्थान के निष्प्रयोज्य वाहन संख्या-यू0पी0-32 ए0टी0 8165 एम्बेस्डर कार एवं वाहन संख्या-यू0एम0एल0-9914 मिनी बस **''जैसे है, जहां है''** के आधार नीलामी संस्थान पर दिनांक 27 अगस्त, 2021 को मध्यान्ह् 12:00 बजे आयोजित की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी से पूर्व रू0 10,000/-(रूपये दस हजार मात्र) का डिमाण्ड-ड्राफ्ट/नगद जमानत राशि के रूप में जो **''महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ''** के नाम देय होगा तथा नीलामी तिथि को पूर्वाहन् 11:30 बजे तक प्रत्येक स्थिति में जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी की शर्तें संस्थान की वेबसाइट www.sirdup.in पर भी उपलब्ध हैं।

कृ0 महानिदेशक
(डॉ0 डी0सी0 उपाध्याय)
अपर निदेशक

नीलामी की शर्ते

1. इच्छुक व्यक्ति/अन्य संस्था/शासकीय एजेन्सी नीलामी से पूर्व रू0 10,000/-(रू0 दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद जमानत धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जो कि महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा, को जमा कराकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है, जिसे नीलामी तिथि के दिन पूर्वाह्न् 11:30 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात कोई ड्राफ्ट/नगद जमा नही किया जायेगा। जमा किये गये ड्राफ्ट/नगद नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही बोलीदाताओं को वापस किया जायेगें।
2. नीलामी बोली के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि को 03 दिन के अन्दर जमा करके नीलामी किये वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी।
3. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् जमानत धनराशि को नीलामी स्वीकृत धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी।
4. नीलामी किये जाने वाले वाहन को नीलामी में भाग लेने के इच्छुक सभी व्यक्ति/अन्य संस्था/शासकीय एजेन्सी द्वारा कार्यालय अवधि में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक संस्थान परिसर में देखा जा सकता है।
5. दोनों वाहन की नीलामी ''जैसा है, जहां है, के आधार पर की जायेगी।
6. अधिकतम बोलीदाता वाले ऊपर से 03 लोगों को छोडकर शेष की जमानत राशि उसी दिन वापस कर दी जायेंगी।
7. बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद 75 प्रतिशत धनराशि उसी दिन जमा करनी होगी।
8. स्वीकृत बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करा कर एक सप्ताह के अन्दर वाहन को परिसर से हटाना होगा।
9. उपरोक्त नीलामी की कार्यवाही दिनांक 27 अगस्त, 2021 मध्याह्न 12:00 बजे संस्थान परिसर में की जायेगी।
10. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निष्प्रयोज्य नीलामी किये गये वाहन को हटाये जाने के समय यदि कोई शासकीय क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी स्वीकृत बोलीदाता की होगी तथा उसे वाहन को परिसर से ले जाने के पूर्व क्षतिपूर्ति/ठीक कराना होगा।
11. दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को बिना कारण बताये सबसे ऊंची बोली को रदद् करने का अधिकार निहित होगा। इस विषय में महानिदेशक महोदय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

कृ॰ महानिदेशक

(डॉ0 डी0सी0 उपाध्याय)

अपर निदेशक